

## प्रेस नोट

### दीव जिला में ई-रिक्शा हेतु परमिट देने की प्रक्रिया शुरू

दीव, दिनांक 14/03/2018 - दीव जिला के सभी ऑटोरिक्शा चालकों एवं आमजनता को सूचित किया जाता है कि दीव जिला में ई-रिक्शा से संबंधित परमिट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम सभी जानते हैं कि मेट्रो और बड़े-बड़े शहरों में ई-रिक्शा का प्रचलन शुरू किया गया है और इसे उन शहरों में अच्छा रिसर्पोस भी मिल रहा है। दीव में अधिक से अधिक ई रिक्शा के प्रचलन से यहाँ के पर्यटन को लाभ होगा और ध्वनि तथा वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है। इसको चलाने के लिए किसी भी प्रकार ईंधन की आवश्यकता नहीं होती और इस कारण से यह बिल्कुल ही प्रदूषण से मुक्त है। यह चलाने में भी आसान है और काफी किफायती है। चालक को इससे काफी आर्थिक बचत भी होगी। इस ई-रिक्शा की चलाने पर एक किलोमीटर पर 23 पैसा का खर्च आता है। यह इतना किफायती है कि दूसरे रिक्शा के मुकाबले ई-रिक्शा से एक वर्ष में 79,780 रुपये की बचत होती है।

इसलिए उन चालकों से अनुरोध किया जाता है कि जो ई- रिक्शा चलाने में रुचि रखते हैं वे परिवहन विभाग, दीव में आवश्यक आवेदन कर परमिट प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में यह भी जानकारी देनी है कि ई-रिक्शा के लिए सरकार द्वारा आर्थिक छूट भी प्रदान की जा रही है। इस रिक्शा की शुरुआती कीमत 1,20,000 रुपया है।

पुनः इस संबंध में जानकारी देनी है कि वे महिलायें जो ई-रिक्शा चलाना चाहती हैं उन्हें दमण दीव प्रशासन की तरफ से 50% की आर्थिक छूट प्रदान की जायेगी।

अतः आपसभी पुरुषों एवं महिलाओं से अपील है कि ई-रिक्शा का अधिक से अधिक प्रयोग करें और दीव को प्रदूषण मुक्त बनाने में प्रशासन का सहायोग करें।

